(391)

R 621 - I - 17

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 पुनरीक्षण

श्री .... द्वारा आज दि. .... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. लालसिंह यादव पुत्र श्री दशरथ उर्फ जशरथ सिंह यादव उम्र- 49 वर्ष, व्यवसाय- नौकरी,

2. मनोहरसिंह यादव पुत्र श्री दशरथ उर्फ जशरथ सिंह यादव उम्र- 45 वर्ष, व्यवसाय-नौकरी निवासीगण- पुष्पा स्कूल के पास, एम0पी0 ई0बी0 के सामने, झाँसी रोड़, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0 --आवेदकगण

बनाम

1. कैथोलिक चर्च टीकमगढ़ द्वारा प्रीस्ट इंचार्ज फादर यूजिन एन्टोनी पुत्र श्री कुरूविला एंटॉनी उम्र- 37 वर्ष, निवासी हाल- पुष्पा स्कूल के पास, झाँसी रोड़, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

2. दशरथ उर्फ जशराथ सिंह यादव पुत्र स्व0 श्री मजबूतसिंह यादव उम्र- 70 वर्ष, निवासी- एम0पी0ई0बी0 के सामने, झाँसी रोड़, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, (म0प्र0) --अनावेदकगण

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 16/01/2017 पारित द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 54/बी-121/2014-15 व उनवान कैथोलिक चर्च यूजिन एन्टोनी बनाम लालसिंह आदि ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 कैथोलिक चर्च टीकमगढ़ द्वारा प्रीस्ट इन्चार्ज फादर यूजिन एन्टोनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे कमांक 159, 160, 161, 165, 229, 232, 230, 231, 232 स्थित टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के बेरूनम्याद आदेश दिनांक 04/08/2013 एवं राजस्व प्रकरण कमांक 150/अ-6/87-88 को निरस्त कर प्रवृष्टियों को दुरूस्त कराये जाने का अभ्यावेदन आवेदक कमांक 1 व 2 व अनावेदक कमांक 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिस पर उनकी न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 54/बी-121/14-15 पंजीबद्ध हुआ।

2. यहकि, प्रकरण में दिनांक 24/03/2015 की आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-621-एक/2017 जिला टीकमगढ़

लालसिंह विरूद्ध कैथोलिक चर्च

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 54/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 27-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 27/3/19 सदस्य	